न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ दिनांक

अनवान :–

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

इमाम वगैरा बनाम हकीम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. **72/2023** दिनांक : 15/05/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र भोजारिया के मौजा तमाची की गफन के खेत खसरा सं. 129/26 रकबा: 04.2735 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 696 to 699 दिनांक 15/05/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:28:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी इमाम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हकीम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/गिड़ाऊ/सेडवा

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन